

सुपुद्गलनाम

3/

आज दिनांक 3-4-13 को श्रीमान कलेक्टर महोदय को
के आदेश क्रमांक एल 12-3 राजस्व / आवंटन / 10/726672
दिनांक 24-12-12 व श्रीमान महसूलदार साहब महोदय
के आदेश क्रमांक 141-142 LR दिनांक 4/1/2013 की
पालना में ग्राम भुसुकपुरा के चराई के आसपास स्थित
34/4 रकबा 16 कीचड़ी उन्नत आदेशानुसार पटवारी द्वारा
(10 एकर)
मोशन द्वारा प्रधानाध्यापक केन्द्रीय विद्यालय सन
स्टाफ की मोर्ची पर जमीन चलाकर सीमा बनाकर रखना
समलाना गया।

५०५२५५
 ५०५२५५

Valthi
3-4-2013
J/C Principal
K.V. Tank

Janani
(P.K Meena)
P.R.T.
K.V. Tonk

3/4/2013
पा. ६ सोरग

असल से मिलान किया

पदा

(२५१४८६९)

छाया, प्रतिलिपि

हसीनदास (मू. न.)
होंक (राज.)

1- 1000 रु का	150
2- 500 रु का	319/15
3- 200 रु का	319/15
4- 100 रु का	319/15
5- 50 रु का	478/15
6- 20 रु का	10
7- 10 रु का	10
8- 5 रु का	625
9- 1000 रु का	1000
10- 500 रु का	500



जमाबन्दी गाँव : अरुणपुरा ७६ सहाह
तहसील : टोल्क
सम्वत् : २०६८-२०७१
क्षेत्रफल क्षेत्रा बिस्वा में

पटवार क्षेत्र
जिला
वास्तविक स

२०४४

जमाबन्दी प्रतिलिपी

निरीक्षक क्षेत्र

$$\therefore \frac{a_1 + a_n}{2} = \frac{a_2 + a_{n-1}}{2}$$

प्रपत्र सं. पी 26 (ए)
(देखिए नियम 13)

[illegible]

कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक

कमांक एफ 12-3() राजस्व / आवंटन / 10 /

दिनांक

आदेश

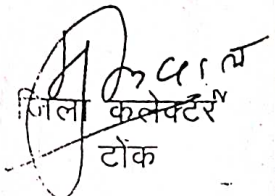
उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक से प्राप्त प्रस्ताव एवं उनकी अभिलेखानुसार ग्राम युसुफपुरा उर्फ चराई तहसील टोंक में स्थित आराजी खसरा नम्बर 34/1 रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा किस्म बंजड़ (राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित) में से 16 बीघा भूमि उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 4(2) कोलो/2010 दिनांक 13.5.2010 एवं राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सामुदायिक उपयोग के सरकारी भूमि के लिए राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियमों के अन्तर्गत वर्णित उपबन्धों एवं शर्तों के अधीन नये केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) क्षेत्रीय कार्यालय, 92 गांधी नगर मार्ग, बजाज नगर जयपुर को निःशुल्क आवंटन की जाती है।

इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ 12-3() राजस्व / आवंटन / 10 / 4960-66 दिनांक 25-8-2010 द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक के खसरा नम्बर 496/1 रकबा 8 बीघा एवं खसरा नम्बर 493 में से 8 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाता है।

-Sd/-
जिला कलेक्टर
टोंक

कमांक एफ 12-3() राजस्व / आवंटन / 10 / 7266-72 दिनांक 24-12-12
प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र संख्या प.1(706)राज-3/12 दिनांक 13-12-12 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) क्षेत्रीय कार्यालय, 92 गांधी नगर मार्ग, बजाज नगर जयपुर
3. उपखण्ड अधिकारी टोंक
4. तहसीलदार टोंक को नियमानुसार कब्जा सुपुर्द कर राजस्व रेकार्ड में अगलदरागद कर पालना हेतु।
5. आयुक्त, नगर परिषद टोंक
6. प्रोअो डीआरए शाखा कलेक्ट्रेट टोंक
7. रक्षित पत्रावली


जिला कलेक्टर
टोंक